RB-1975
16 OCT 2012

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आर. बी. ई. सं. 115/2012

सं. ई(पी एंड ए) I-2005/एएलएल/आरपीएफ/2 **नई दिल्ली, दिनांक 10.10.2012**

महाप्रबंधक, NWR. जयपुर
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाईयां।

विषय: अराजपत्रित रे.सु,ब./रे.सु.वि.ब. कार्मिकों के संबंध में राशन धनराशि भत्ते की दर में संशोधन।

*****

बोर्ड के 17.10.2011 के समसंख्यक पत्र के अनुसार रे.सु,ब./रे.सु.वि.ब. के आराजपत्रित कार्मिक केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल (सीपीएमएफ) कार्मिकों के समान 01.04.2011 से 31.03.2012 तक 56.56/- रु. के हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से राशन धनराशि भत्ते के हकदार थे।

2. अब 01.04.2012 से 31.03.2013 तक राशन धनराशि भत्ते को वर्तमान दर 56.56/- रु. से 67.55/- रु. प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

3. तदनुसार, 01.04.2012 से 31.03.2013 तक राशन धनराशि भत्ते की दर को संशोधित करके 56.56/- रु. से 67.55/- रु. करने के लिए एतत् द्वारा रेल मंत्रालय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. बोर्ड के 10.06.2009 के समसंख्यक पत्र के पैरा 4 में यथानिर्धारित अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेगी ।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

6. कृपया पावती दें।

(के. शंकर)
निदेशक, स्था. (वे. एवं भ.)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एंड ए) I-2005/एएलएल/आरपीएफ/2 **नई दिल्ली, दिनांक 10.10.2012**
प्रतिलिपि प्रेषित:

1. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224,रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

कृते वित्त आयुक्त, रेलें।

सं. ई(पी एंड ए) I-2005/एएलएल/आरपीएफ/2 **नई दिल्ली, दिनांक 10.10.2012**
प्रतिलिपि प्रेषित:

1. विस एवं मुलेधि, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाईयां इत्यादि।

2. महाप्रबंधक और विस एवं मुलेधि, मेट्रो रेलवे, कोलकता।
3. मुख्य संरक्षा आयुक्त, सभी भारतीय रेलें।
4. कमांडेंट, रेल सुरक्षा विशेष बल।

(क) सं. 1 बटालियन, लुमडिंग।
(ख) सं. 2 बटालियन, गोरखपुर।
(ग) सं. 3 बटालियन, लखनऊ।
(घ) सं. 4 बटालियन, न्यू जलपाईगुड़ी।
(ड़) सं. 5 बटालियन, तिरुचिरापल्ली।
(च) सं. 6 बटालियन, दयाबस्ती।
(छ) सं. 7 बटालियन, मौला अली, सिकंदराबाद।
(ज) सं. 8 बटालियन, चित्तरंजन।
(झ) सं. 9 बटालियन, जगाधरी।
(त्र) सं. 10 बटालियन, धनबाद।
(त) सं. 11 बटालियन, गेहररा।
(थ) सं. 12 बटालियन, ठाकुर्ली।

5. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके दिनांक 12.09.2012 के पत्र सं. II-27012/66/2008-पीएफ. 1 के संदर्भ में।
6. निदेशक (वित्त), आरडीएसओ, लखनऊ।
7. वेतन एवं लेखा अधिकारी, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

(के. शंकर)
निदेशक, स्था. (वे. एवं भ.)
रेलवे बोर्ड।

सं. ई(पी एंड ए) I-2005/एएलएल/आरपीएफ/2 **नई दिल्ली, दिनांक 10 .10.2012**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. महासचिव, एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषदके सभी सदस्य, सचिवकर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. महासचिव, फ्रोआ।
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं 402, रेल भवन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास-II, ऑफिसर्स एसोसिएशन।
7. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं 341-सी, रेलवे बोर्ड।
8. अध्यक्ष, भारतीय रेल क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टॉफ एसोसिएशन।
11. महासचिव, एआईआरपीएफ एसोसिएशन।
12. महासचिव, अखिल भारतीय अ.जा./अ.ज.जा. रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली- 110 001।
13. महासचिव, सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (पंजी.) 490ए/16, गुरूद्वारा रोड, गुडगांव।
14. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ।

कृते सचिव, रेलवे।